संख्या - 173 / 2022/ 1726/चार-2022-33(बजट)/2015

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग : लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2022

विषय- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1448/सं0नि0-6(90)/2014-15, दिनांक 23 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 75.37 लाख (रूपये पचहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

(1) शासनादेश संख्या-27/2016/87/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 15 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-140/2016/1144/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-18/2017/2750/चार-2016-33(बजट)/ 2015 दिनांक 07 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या-55/2018/779/चार-2018-33(बजट)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-118/2018/3109/चार-2018-33(बजट)/2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-03/2021/1856/चार-2020-33(बजट)/2015 दिनांक 01 जनवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या-83/2021/748/चार-2021-33(बजट)/2015 दिनांक 26 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 23-2022 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-33-उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022-बी/1-454-दस/2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 173 /2022/1726/चार-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
6- महाप्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)4-नियोजन अनुभाग/,उ शासन। 0प्र0
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।